भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2010/फाल्गुन 27, 1931
No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2010/PHALGUNA 27, 1931

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2010

सा.का.नि. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 में नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. **वेतन** : अध्यक्ष प्रतिमास तीन लाख रुपए का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा तथा पूर्ण-कालिक सदस्य प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपए का वेतन प्राप्त करेगा, जो सरकारी आवास तथा स्टाफ कार के बिना होगा :

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. **महंगाई भत्ता** : जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है वहां वह, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।";

4. उक्त नियमों में नियम 9 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर, "80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में,—

(i) "और सचिवों की अनुवीक्षण समिति" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक में, "ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है, समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होंगे" शब्दों के स्थान पर ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के "80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

5. उक्त नियमों के नियम [illegible] में "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर "30,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. **आवास** :—जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, वहां वह ऐसे आवास के लिए हकदार होगा जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

7. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12 **परिवहन** :—जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह ऐसी परिवहन सुविधा का हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

8. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"14. **टेलीफोन सुविधा** : अध्यक्ष तथा पूर्ण-कालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह "क" अधिकारी, जो 80,000 रु. (नियत) के वेतनमान में वेतन ले रहा हो, को यथा अनुज्ञेय टेलीफोन सुविधा के हकदार होंगे:

परंतु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां वह उसी टेलीफोन सुविधा का हकदार होगा जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अनुज्ञेय है।"

9. उक्त नियमों के नियम 15 में,—

(क) "समतुल्य वेतन" शब्दों के स्थान पर, "80,000 रुपए (नियत) के वेतनमान में वेतन" शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहां अध्यक्ष की सेवा की अन्य ऐसी शर्तें, जिनके संबंध में, इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी, जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को लागू है।"

[फा. सं. 25/1/2009-आर एंड आर]

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 177(अ), तारीख 8 मार्च, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।